366

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2015 निगरानी 667-II-15

1. पूरन सिंह पुत्र अनेक सिंह
2. प्रताप सिंह पुत्र अनेका सिंह,
   जाति ठाकुर निवासी– कसगढा तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

——आवेदकगण

विरूद्ध

1. मानेन्द्र सिंह पुत्र चिरौंजी सिंह
2. सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री चरौंजी सिंह,
3. हरेन्द्र सिंह पुत्र चिरौंजी सिंह,
4. चन्दादेवी पत्नी श्री चिरौंजी सिंह,
   सभी जाति ठाकुर, निवासी– कसगढ़ा, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

——अनावेदकगण

पेश आवेदन 150
21-4-15 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
01-04-2015

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/2012–13/निगरानी माल, में पारित आदेश दिनांक 05/2/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यह कि, अनावेदकगण के पिता जनकसिंह ने आवेदक के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आगे न चलाये जाने की प्रार्थना के आधार पर आदेश दिनांक 09/02/2011 द्वारा खारिज की गई।
2. यह कि, अनावेदकगण ने प्रकरण के पुनः स्थापन के लिए आवेदन किया। विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आदेश दिनांक 11/02/2011 द्वारा प्रकरण पुनः स्थापित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष पुनरीक्षण किया गया। अपर

s-1d

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक—निगरानी—667—दो/2015 जिला—मुरैना

पूरन सिंह व अन्य विरूद्ध मानेन्द्र सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर मुरैना, जिला—मुरैना के प्र. क्र. 60/2012—13/निगरानी माल में पारित आदेश दिनांक 05—02—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग,चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08—05—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 11-3-19 सदस्य	